कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून।

पत्रांक 2776. /भण्डार/वाहन–निविदा/2014–15/देहरादून, दिनांक 19/8/14.

सेवा में,

विज्ञापन व्यवस्थापक

1– मै0 अमर उजाला।

2– मै0 शाह टाईम्स।

विषय– वाहन निविदा की विज्ञप्ति प्रकाशन विषयक।

महोदय,

इस निदेशालय हेतु वाहन किराये पर लिए जाने की निविदा विज्ञप्ति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। कृपया निविदा विज्ञप्ति को न्यूनतम पठनीय साईज 8x8 सेमी0 में संलग्न विवरणानुसार दैनिक अमर उजाला एवं शाह टाईम्स के देहरादून संस्करण में डी.ए.बी.पी. दर पर अविलम्ब प्रकाशित करवाने का कष्ट करें। विज्ञप्ति प्रकाशन के बाद बिल प्रमाणित कर भुगतान हेतु इस निदेशालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि

कृषि निदेशक
उत्तराखण्ड।

पत्रांक /भण्डार/वाहन–निविदा/2014–15/देहरादून, दिनांक

प्रतिलिपि– महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग उत्तराखण्ड देहरादून की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

कृषि निदेशक
उत्तराखण्ड।

कृषि निदेशालय उत्तराखण्ड,
नंदा की चौकी,प्रेमनगर देहरादून

वर्ष 2014–15 हेतु वाहन किराये हेतु विज्ञप्ति

कृषि निदेशालय उत्तराखण्ड, नंदा की चौकी प्रेमनगर देहरादून में मासिक किराये पर तथा दैनिक किराये पर वाहन उपलब्ध कराने हेतु निविदा आमंत्रित की जा रही है। निविदा प्रपत्र प्रत्येक कार्यदिवस को प्रातः 10:00 बजे से सांय 5:00 बजे तक कार्यालय कैशियर से दिनांक 15.09.2014 तक रू0 500.00 नकद जमा कर प्राप्त किया जा सकता है अथवा निदेशालय की Website www.agriculture.uk.gov.in से भी Download किये जा सकते है। सील बंद निविदायें दि0 16.09.2014 को दोपहर 12:00 बजे तक निविदा पेटी में डाली जा सकेंगी। प्राप्त निविदायें उसी तिथि को अपरान्ह 1:00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के सम्मुख निविदा समिति द्वारा खोली जायेगी। निविदा के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण निविदा प्रपत्र पर दिया गया है। किसी भी विवाद हेतु न्याय का क्षेत्र देहरादून होगा। अधोहस्ताक्षरी को एक अथवा समस्त निविदायें बिना कारण बताये निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

ह0/
कृषि निदेशक उत्तराखण्ड।

कृषि निदेशक
उत्तराखण्ड

निविदा प्रपत्र संख्या–
मूल्य रू0–440
व्यापार कर–60
कुल योग–500

कृषि निदेशालय उत्तराखण्ड
नंदा की चौकी प्रेमनगर
देहरादून।

किराये के वाहनों हेतु निविदा शर्तें–

1. (I) मासिक किराये पर आर.के.वी.वाई. एवं आतमा प्रकोष्ठ हेतु एक वर्ष के लिए 02 इण्डिका वाहन लिए जायेगें। यदि शासन स्तर से एक वर्ष से पूर्व वाहनों को किराये पर न रखने के सम्बन्ध में निर्देश दिये जाते है तो तद्नुसार वाहनों को किराये पर नही रखा जायेगा।
(II) विभाग को समय–समय पर राजकीय कार्यों हेतु किराये के वाहनों की आवश्यकता होती है, जिसके लिए दैनिक किराये पर इनोवा/जाईलो/बोलेरो/इण्डिगो वाहन लिए जा सकते है, जिनके लिए भी दरें आमंत्रित की जा रही है।
2. निविदा विज्ञप्ति के समाचार पत्रों में प्रकाशित होने के उपरान्त निविदा प्रपत्र प्रत्येक कार्य दिवस में प्रातः 10:00 बजे से सांय 5:00 बजे तक कार्यालय कैशियर से दिनांक 29.08.2014 तक प्राप्त किये जा सकते है। निविदा प्रपत्र कृषि निदेशालय की बेवसाइट www.agriculture.uk.gov.in से भी डाउनलोड किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में निविदा प्रपत्र तकनीकी निविदा भाग–1 के साथ रू0 500/– का बैक ड्राफ्ट जो कि कृषि निदेशक उत्तराखण्ड के नाम, किसी राष्ट्रीयकृत बैंक का बना हो, संलग्न किया जाय। निविदा प्रपत्र नकद कय किये जाने पर विभागीय रसीद (डी0–2) की छाया प्रति संलग्न की जानी होगी। निविदा प्रपत्र डाक अथवा कोरियर से न तो उपलब्ध कराये जायेंगे और न ही भरे हुये निविदा प्रपत्र उक्त माध्यमों से स्वीकार किये जायेंगे।
3. पूर्ण रूप से भरे हुये निविदा प्रपत्र दिनांक 30.08.2014 को दोपहर 12:00 बजे तक निविदा पेटी में डाले जायेगी, जो उसी दिन अपराह्न 1:00 बजे निविदा समिति द्वारा उपस्थित निविदादाताओं के सम्मुख खोले जायेंगे।
4. निविदा प्रपत्र के साथ रू0 5000/– की धरोहर धनराशि जो कि कृषि निदेशक, उत्तराखण्ड देहरादून के पदनाम से हो, का बैक ड्राफ्ट संलग्न करना अनिवार्य होगा तथा जिस फर्म की दर स्वीकृत होगी उसे रू0 5000/– मात्र की जमानत धनराशि जो कि कृषि निदेशक, उत्तराखण्ड के पदनाम से बंधक होगी, देनी अनिवार्य होगी, अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
5. वाहन टैक्सी में पंजीकृत होना चाहिए। मासिक किराये पर वाहनों हेतु निविदा के साथ वाहन का टैक्सी में रजिस्ट्रेशन प्रपत्र संलग्न कराना होगा। वाहन का मॉडल वर्ष 2013 से पूर्व का नही होना चाहिए।
6. **मासिक किराये वाले वाहन हेतु–** वाहन में मैकेनिक कार्य एवं सर्विसिंग हेतु माह में एक दिन का अवकाश देय होगा।
7. वाहन को चालक सहित उपलब्ध कराया जायेगा जिसका वेतन आदि का भुगतान वाहन स्वामी/ट्रैवल्स एजेन्सी द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।
8. **मासिक किराये वाले वाहन हेतु–** वाहन चालक के पास पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्र हेतु निर्धारित अवधि तक के लिये वैद्य लाइसेन्स का होना अनिवार्य है वाहन चालक को मैदानी व पर्वतीय क्षेत्रों में वाहन चलाने का कम से कम 05 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है। लाईसेन्स की छायाप्रति कार्यालय में जमा करनी होगी।
9. वाहन चालक पर किसी प्रकार की पुलिस कार्यवाही/आपराधिक मामला लंबित नहीं होना चाहिये।
10. **मासिक किराये वाले वाहन हेतु–** यदि विभाग को अवकाश के दिन वाहन की आवश्यकता होती है तो सक्षम प्राधिकारी के निर्देशानुसार वाहन कार्य पर लाना अनिवार्य होगा।
11. **मासिक किराये वाले वाहन हेतु–** वाहन कृषि निदेशालय के नियंत्रण में रहेगा। ड्यूटी के दौरान यदि वाहन में किसी प्रकार की खराबी आ जाती है तो ऐसी स्थिति में वाहन स्वामी/ट्रेवल एजेन्सी द्वारा दूसरे वाहन की

व्यवस्था करनी होगी अन्यथा दूसरे वाहन पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति वाहन स्वामी/ट्रैवर्ल्स ऐजेन्सी से कर ली जायेगी।

12. **मासिक किराये वाले वाहन हेतु–** निविदा में केवल मासिक किराया एवं ईंधन व्यय प्रति लीटर किलोमीटर निविदा प्रपत्र में अंकित किया जायेगा, ईंधन का भुगतान वास्तविक चली गयी दूरी के अनुसार आगणित कर निकाला जायेगा। माह में भरे गये ईंधन की दर उपलब्ध करानी होगी जिसकी पुष्टि के लिये तेल वाउचर बिल के साथ संलग्न करने होंगे।

13. **मासिक किराये वाले वाहन हेतु–** निविदा में ईंधन का औसत खपत कम से कम 13 कि.मी./लीटर रखी जाये, यदि किसी निविदादाता द्वारा 13 कि.मी./लीटर से कम ईंधन खपत रखा जाता है तो उस निविदा पर विचार नही किया जायेगा।

14. **मासिक किराये वाले वाहन हेतु–** वाहन स्वामी/एजेन्सी द्वारा वाहन चालक को एक लॉग बुक उपलब्ध कराई जायेगी जिसमें यात्रा का विवरण डीजल/पेट्रोल की इन्द्राजी की जायेगी, जिसका सत्यापन सक्षम अधिकारी द्वारा किया जायेगा जिसके आधार पर ईंधन का भुगतान किया जायेगा। दैनिक किराये पर लिए जाने वाले वाहनों हेतु ड्यूटी स्लिप भरनी होगी।

15. वाहन को मुख्यालय से बाहर ले जाने की स्थिति में अथवा रात्रि में रोके जाने पर चालक को रात्रि निवास का भुगतान वाहन स्वामी/ट्रेवल एजेन्सी द्वारा स्वयं किया जायेगा।

16. दूसरे राज्यों में वाहन के प्रवेश पर पड़ने वाला टैक्स, अन्य प्रकार के रोड टैक्स, पुल टैक्स, पार्किंग टैक्स, एवं सर्विस टैक्स आदि का भुगतान नियत मासिक किराया से पृथक किया जायेगा। जिसके लिए सम्बन्धित भुगतान के बाउचरों को बिल के साथ संलग्न करना होगा।

17. किसी भी प्रकार की दुर्घटना/परिवहन विभाग द्वारा किये गये चालान/ट्रैफिक पुलिस द्वारा किये गये चालान की प्रतिपूर्ति वाहन स्वामी/ट्रेवल एजेन्सी द्वारा की जायेगी। उपलब्ध कराये जा रहे वाहन पर किसी प्रकार का पुलिस केस नहीं होना चाहिये।

18. फर्म के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा निविदा प्रस्तुत करने की दशा में फर्म के स्वामी द्वारा सम्बन्धित अधिकृत निविदादाता की सत्यता की पुष्टि हेतु रू0 10.00 के स्टाम पेपर पर शपथ पत्र तैयार कर निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

19. वाहन स्वामी/ट्रैवर्ल्स ऐजेन्सी जिसकी निविदा स्वीकार कर ली गयी हो, द्वारा यदि निर्धारित समय पर वाहन उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो उसकी जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा दूसरा वाहन अधिकृत कर लिया जायेगा।

20. निविदा दरें एक वर्ष तक के लिए मान्य होगी ।

21. बिल भुगतान के समय बिल की धनराशि में से नियमानुसार टी0डी0एस0 की कटौती की जायेगी।

22 अपूर्ण एवं सशर्त निविदायें स्वीकार नहीं की जायेगी।

23. वाहन किराये का भुगतान बजट की उपलब्धता पर किया जायेगा।

24. अधोहस्ताक्षरी को बिना कारण बताये एक अथवा समस्त निविदायें निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

25. किसी भी विवाद हेतु न्याय क्षेत्र देहरादून होगा।

कृषि निदेशक
उत्तराखण्ड।

निविदा प्रपत्र

1. निविदादाता का नाम...

2. पता...

3. पत्र व्यवहार का पता..

....

4. पेन नम्बर...

5. फर्म का रजिस्ट्रेशन नम्बर...

6. निविदा फार्म शुल्क की रसीद संख्या

अथवा बैंक ड्राफ्ट संख्या/दिनांक...

7. धरोहर धनराशि रू0.............................. ड्राफ्ट नं0.......................................दिनांक...............

8. टेलीफोन नं0...

9. प्रतिमाह किराये हेतु दरें

क. सं.	वाहन का प्रकार	रजिस्ट्रेशन नं0एवं पंजीकरण का वर्ष	टैक्सी में पंजीकरण का विवरण	मासिक किराया	तेल की खपत प्रति लीटर कि0मी0
1.	इण्डिका				

(सर्विस टैक्स, पार्किंग टैक्स, प्रदेश से बाहर जाने की स्थिति में देय टैक्स आदि पृथक से देय होगा)

10. दैनिक किराये हेतु वाहन की दर–

क. सं.	वाहन का प्रकार	किराया प्रतिदिन प्रति कि0मी0 (पर्वतीय मार्ग) रू0 में		किराया प्रतिदिन प्रति कि0मी0 (मैदानी मार्ग) रू0 में		वेटिंग चार्जजे	न्यूनतम कि0मी0 चार्जजे प्रतिदिन
		ए.सी.	साधारण	ए.सी.	साधारण		
1.	इण्डिका						
2.	बोलेरो						
3.	इण्डिगों						
4.	इंनोवा/जाईलो/स्कार्पियो						

(सर्विस टैक्स, पार्किंग टैक्स, प्रदेश से बाहर जाने की स्थिति में देय टैक्स आदि पृथक से देय होगा)

फर्म स्वामी/अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर, नाम एवं पता